

## प्राककथन

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों से सम्बन्धित 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा की गई है।

सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं धारा 139 (7) के अन्तर्गत कम्पनियों को समिलित करके) के लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन होते हैं और सीएजी इस पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों को पूर्ण करते हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों की सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा भी की जाती है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी या सांविधिक निगम के लेखाओं से सम्बन्धित प्रतिवेदनों को विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु सीएजी द्वारा सरकार को प्रेषित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं जो कि वर्ष 2015–16 के दौरान किये गये नमूना लेखापरीक्षा में संज्ञान में आए थे, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में संज्ञान में आये थे, परन्तु जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं की जा सकी थी; वर्ष 2015–16 के बाद की अवधि के मामलों को भी, यथा आवश्यक, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

